



2026:AHC:128239

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं० - 18607/2026

कुणाल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : शशि शंकर शुक्ला

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं० - 48

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी कान्त शुक्ला

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शशि शंकर शुक्ला, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
- वर्तमान जमानत आवेदन, मु.अ.सं० 65/2026, अन्तर्गत धारा 352, 109(1), 118(2), 131 बी.एन.एस., थाना- खरखौदा, जिला- मेरठ में, विचारण की लम्बितता के दौरान जमानत पर मुक्त करने हेतु दायर किया गया है।
- अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि दि० 16.04.2026 को लगभग रात्रि 10:30 बजे आवेदक ने अन्य सह-अभियुक्तों सहित सूचनाकर्ता के पुत्र आनन्द को कथित रूप से ले जाकर उसकी बर्बरतापूर्वक पिटाई की। घटना के पश्चात आनन्द को श्मशान घाट के निकट घायलावस्था में छोड़ दिया गया। पुरजोर तलाश के पश्चात सूचनाकर्ता ने उसे वहां घायल पड़ा पाया। तत्पश्चात घायल ने आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों के नाम हमलावरों के रूप में बताया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



घायल के कथन एवं प्रकरण की परिस्थितियों के आधार पर आवेदक तथा सह-अभियुक्तों को इस प्रकरण में नामित किया गया है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि घायल को ऐसी कोई चोट नहीं आई, जो बी.एन.एस. की धारा 109(1) के प्रावधानों को आकर्षित करती हो। चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार घायल को केवल एक दांत की क्षति हुई है, जो गम्भीर चोट की श्रेणी में आती है तथा जमानतीय अपराध है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक तथा सह-अभियुक्तों के विरुद्ध शेष अपराध सात वर्ष से कम कारावास से दण्डनीय हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है तथा पक्षकारों के मध्य पूर्ववर्ती शत्रुता के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान घटना से पूर्व आवेदक पर सूचनाकर्ता पक्ष द्वारा हमला किया गया था, जिस संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसकी प्रति अनुपूरक शपथ-पत्र में एस.ए.-1 के रूप में संलग्न है। उक्त शत्रुता के कारण वर्तमान आपराधिक प्रकरण प्रतिकूल उद्देश्यों से आवेदक के विरुद्ध कथित रूप से संस्थित किया गया है। आवेदक विधि-पालक नागरिक है तथा उसकी कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दि० 20.04.2026 से कारागार में है। जमानत पर मुक्त होने पर वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तथ्यात्मक निवेदनों को खण्डित नहीं कर सके।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के निवेदनों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता तथा कारागारों में भीड़भाड़ एवं विचारण न्यायालयों में लम्बित मामलों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए, तथा उच्चतम न्यायालय के कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038 एवं इस न्यायालय के माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 के निर्णयों के अधिदेश को दृष्टिगत रखते हुए, तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



व्यक्त किये बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर मुक्त किये जाने का अधिकारी है। तदनुसार वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. अभियुक्त-आवेदक **कुणाल**, जो उपरोक्त अपराध प्रकरण में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये:-

- i. आवेदक प्रकरण के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे उसे न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विरत किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, ईमानदारी से विचारण/विवेचना में सहयोग करेगा।
- iii. आवेदक जमानत पर मुक्त होने के पश्चात किसी आपराधिक गतिविधि अथवा अपराध के कारित करने में लिप्त नहीं होगा।
- iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंध-पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में यह जमानत निरस्त किये जाने का आधार होगा।

9. जमानतदारों की पहचान, प्रास्थिति एवं निवास प्रमाण का सत्यापन बंध-पत्र स्वीकार किये जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाये।

10. आवेदक एवं जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाये।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से सम्बन्धित कारागार को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(लक्ष्मी कान्त शुक्ला, न्यायमूर्ति)

18 जून, 2026

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।